

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 162/2021

उनवान

रतन सिंह पुत्र घीसा जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीरबाद

-- वादी :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

-- प्रतिवादी :- जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज0 काश्त0 अधि0 1955 व 131 भू राजस्व अधिनियम 1956



--: निर्णय :-

दिनांक :- 6/5/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दला में वादी की खातेदारी आराजी स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

चौसाला खसरा नम्बर	रकबा	वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
17	1-16-0	39	1-16-0	52	0.58
	0-7-0	40	0-7-0		
	0-11-0	41	0-11-0		
	0-2-0	42	0-2-0		
	0-2-0	43	0-2-0		
	0-13-0	44	0-13-0		
	2-16-0	45	2-16-0	53	0.46

उपरोक्त आराजी वादी ने दिनांक 12.01.1984 को तत्कालीन खातेदार राजू सिंह पुत्र धन्ना जाति रावत से कय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। वर्किंग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 401 दिनांक 17.07.92 से उक्त आराजी वादी के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। आराजी मुतनाजा पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। हाल खसरा नम्बर 53 रकबा 0.45 की पश्चिमी भुजा में साबिक खसरा नम्बर 40, 41, 42, 43, 44 भूमि जो नक्शा ट्रेस सन् 1970-71 में अंकित है को समाप्त करते हुये वर्तमान नक्शा ट्रेस 1983 में त्रुटिपूर्ण खाली स्थान इन्द्राज किया गया। व हाल खसरा नम्बर 54 सिवायचक भूमि में वर्तमान नक्शा में गलत अंकन कर दिया। अतः हाल खसरा नम्बर 52 व 53 को पूर्व नक्शा के अनुसार



--2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

किया जावे तथा वादी के नाम सम्पूर्ण रकबे को दुरुस्त किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा नामान्तरण संख्या 401 दिनांक 17.7.92 से वादी के नाम दर्ज है। साबिक खसरा नम्बर 39, 40, 41, 42, 43 व 45 कोवर्तमान खसरा नम्बर 51 में मिलना प्रतित होता है वादी साबित करे। वर्तमान व साबिक नक्शा में फर्क है। वर्तमान खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर की जगह नहीं होना प्रतित होता है। पडौसी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है। राजहित प्रभावित होता है।

वाद पत्र व जवाब के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी: मुतनजा का वर्तमान राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण है अतः वादी मानचित्र दुरुस्त कराने का अधिकारी है ?

— वादी

2. आया वाद में पडौसी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है इसका वाद पर क्या असर पड़ेगा ?

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया। राज0 पैरोकार ने भी जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

वर्किंग खसरा नम्बर 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 वादी की कयशुदा है उक्त आराजी पूर्व राजस्व अभिलेख व हाल राजस्व अभिलेख में वादी के नाम खातेदारी दर्ज है। वर्किंग मानचित्र में वर्किंग खसरा नम्बर 40, 41, 42, 43, 44 जिस स्थान पर दर्ज है उक्त खसरा नम्बर के स्थान पर हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 51 व 54 को सम्मिलित कर दिया है जो दोनो राजस्व मानचित्र के अवलोकन से स्पष्ट है। हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 52 व 53 के पश्चिमी भुजा में खाली स्थान अंकित है। जिसमें वादी की खातेदारी आराजी के साबिक खसरा नम्बर का अंकन पूर्व मानचित्र अनुसार दर्ज होना चाहिये था। राज0 पैरोकार ने भी अपने जवाब में जाहिर किया है कि वर्तमान व साबिक नक्शा में फर्क है। वर्तमान खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर की जगह नहीं होना प्रतित होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है। उक्तानुसार हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण होने से वादी दुरुस्त कराने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :-

राज0 पैरोकार ने अपने जवाब में कथन किया है कि पडौसी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है। किन्तु हाल राजस्व मानचित्र में वादी की खातेदारी आराजी के समीप स्थित खसरा नम्बर 51 व 54 सिवायचक खाते में दर्ज है तथा वादी द्वारा प्रकरण में तहसीलदार नसीराबाद को पक्षकार बनाया है वादी द्वारा राजस्व मानचित्र दुरुस्त कराने का अनुतोष चाहा है। किसी अन्य खातेदार के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है। साथ ही राज0 पैरोकार ने अपने जवाब में यह भी कथन किया है कि राजहित प्रभावित होता है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि राजहित किस प्रकार प्रभावित होता है।

राज० पैरोकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि वर्तमान व पूर्व राजस्व मानचित्र में भिन्नता है। वर्तमान खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर की जगह नहीं होना प्रतित होता है। अतः हाल राजस्व त्रुटिपूर्ण होने के कारण वादी दुरुस्ती का अधिकारी है। तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 52 रकबा 0.58 व 53 रकबा 0.45 की आराजी पर वादी का "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के हाल व पूर्व राजस्व मानचित्र की जाँच कर पायी गयी त्रुटी को दुरुस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद



डिकी व मुकदमें इत्बाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रतन सिंह बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :- 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व 131 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 138/2014

पेश करने की दिनांक - 21.10.2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :-

ग्राम नान्दला के हाल खसरा नम्बर 52 रकबा 0.58 व 53 रकबा 0.45 की आराजी पर वादी का "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के हाल व पूर्व राजस्व मानचित्र की जाँच कर पायी गयी त्रुटी को दुरुस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 6 माह 5 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद